हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 01 सितम्बर, 2026 को 11:00 बजे प्रातः विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. प्रश्न।

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

II. शून्य काल।

III. नियम 15 के अधीन प्रस्ताव।

एक मंत्री — प्रस्ताव करेंगे कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

IV. नियम 16 के अधीन प्रस्ताव।

एक मंत्री — प्रस्ताव करेंगे कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

V. ध्यानाकर्षण सूचनाएं।

(i)	**ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-13** जिसकी सूचना- **श्री अशोक कुमार अरोड़ा, एम.एल.ए.**, द्वारा दी गई है।	राजकीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत संविदात्मक सहायकों एवं अंशकालीन प्रोफेसरों/लेक्चररों की नौकरी की सुनिश्चितता से संबंधित।
(ii)	**ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-14** जिसकी सूचना- **श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया, एम.एल.ए.**द्वारा दी गई है, को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 13 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 13 पर चर्चा के समय एक स्पष्टीकरणात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं।

VI. 'नेवा' पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज-पत्र।

1.	एक मंत्री	हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2024 (2024 का हरियाणा अधिनियम संख्या 12) की धारा 16 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार उच्चत्तर शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या एस. ओ-44 /एच. ए. 12/2024/ एस.16/2026 दिनांकित 24 अगस्त, 2026 को मेज पर रखेंगे।
2.	एक मंत्री	हरियाणा राज्य खेल संघ (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2024 (2026 का हरियाणा अधिनियम संख्या 8) की धारा 29 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार खेल विभाग की अधिसूचना संख्या एस.ओ-28/एच. ए. 8/2024/ एस.29/2026 दिनांकित 09 जुलाई, 2026 को मेज पर रखेंगे।
3.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2023-2024 के लिए हरियाणा जन तीव्र परिवहन निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
4.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2024 -2025 के लिए गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

5.	वित्त मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2024-2025 के लिए हरियाणा सरकार की 2026 की रिपोर्ट संख्या-1 (राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) की राज्य के वित्तों पर प्रतिवेदन पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक रिपोर्ट मेज़ पर रखेंगे।
6.	वित्त मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार की 2026 की रिपोर्ट संख्या-2 की माल एवं सेवा कर पर अनुपालन लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक रिपोर्ट मेज़ पर रखेंगे।
7.	वित्त मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार की 2026 की रिपोर्ट संख्या-3 की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक रिपोर्ट मेज़ पर रखेंगे।
8.	वित्त मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष की अवधि के लिए हरियाणा सरकार की 2026 की रिपोर्ट संख्या-4 (संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन- सिविल) पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक रिपोर्ट मेज़ पर रखेंगे।
9.	वित्त मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष की अवधि के लिए हरियाणा सरकार की 2026 की रिपोर्ट संख्या-5 (अनुपालन लेखापरीक्षा राजस्व) पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक रिपोर्ट मेज़ पर रखेंगे।
10.	वित्त मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष की अवधि के लिए हरियाणा सरकार की 2026 की रिपोर्ट संख्या-6 शहरी स्थानीय निकायों पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक रिपोर्ट मेज़ पर रखेंगे।
11.	वित्त मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2019-20 से 2021-22 के लिए हरियाणा सरकार के प्रधान महालेखाकार कार्यालय (लेखापरीक्षा) हरियाणा, की पंचायती राज संस्थानों तथा शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट मेज़ पर रखेंगे।

VII. सरकारी संकल्प।

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे- "कि गत 29 जुलाई, 2026 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित देशव्यापी **"गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान"** शुरू किया गया। यह अभियान 20 फरवरी, 2027 तक चलेगा।

2. यह अभियान संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जन्म स्थली सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी से शुरू हुआ। उस दिन वहां की पवित्र मिट्टी से भरे कलश का पूजन करके देशभर के राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंपे गये।

3. इस अभियान का उद्देश्य संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के समता, ममता, करुणा, सेवा, भक्ति, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक समरसता के संदेश को समाज के हर व्यक्ति तक पहुँचाना है। साथ ही, विभिन्न वर्गों में सामाजिक एकता को और मजबूत करना है।

4. श्री गुरु रविदास जी का जन्म 649 वर्ष पहले माघ पूर्णिमा के पावन दिन काशी की पुण्य भूमि पर हुआ था। उनका व्यक्तित्व पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल एवं उज्ज्वल था। उन्होंने भक्ति

आंदोलन से समाज सुधार करने का साहसिक और ऐतिहासिक काम किया। इससे उस समय जाति-पाति, अंध-विश्वास और ऊँच-नीच में उलझे समाज में एक नई जागृति पैदा हुई।

5. संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी ने हमें **'मन चंगा तो कठौती में गंगा'** का अमर संदेश दिया था। यह संदेश हमें सिखाता है कि यदि नीयत साफ है, भाव पवित्र है और कर्म लोक-कल्याण के लिए है, तो साधारण से साधारण स्थान भी तीर्थ बन जाता है।

6. संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2016 में उनकी जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर जाकर शीश नवाया था। उस समय उन्होंने इसके विकास का संकल्प व्यक्त किया था। वर्ष 2019 में जन्मस्थली के विस्तार और विकास की बड़ी परियोजना की आधारशिला रखी गई। इसके पहले चरण में विकास कार्यों के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

7. इसके अलावा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के सागर में 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक और संग्रहालय की आधारशिला भी रखी।

8. उन्होंने फरवरी, 2024 में उनकी जन्मस्थली पर लगभग 32 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इसी अवसर पर लगभग 62 करोड़ रुपये की लागत से संत रविदास संग्रहालय और पार्क की आधारशिला रखी गई। इसमें गुरु रविदास जी के जीवन, दर्शन और शिक्षाओं को प्रदर्शित करने वाली आर्ट गैलरी और संग्रहालय बनाया जाना है।

9. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डेरा सचखंड बल्लां में संत श्री गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती पर गत 1 फरवरी को आयोजित विशेष कार्यक्रम में भाग लिया था। उन्होंने उस कार्यक्रम में श्री गुरु रविदास जी की समानता की शिक्षा का विशेष उल्लेख करते हुए, उनके विख्यात दोहे का उल्लेख किया—

एकै माटी के सब भांडे, सबका एकै सिरजन हारा,
एकै घट व्यापै रैदासा, सबको एकै घड़े कुम्हारा।

10. हम हरियाणा में भी कुरुक्षेत्र के उमरी में 5 एकड़ भूमि पर भव्य गुरु रविदास धाम बना रहे हैं। इसका भूमि पूजन 15 मार्च, 2024 को किया गया था। इस परियोजना पर लगभग 124 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस परिसर में संत रविदास जी की 125 फुट ऊँची प्रतिमा की स्थापना भी की जाएगी।

11. **'गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान'** के तहत श्री गुरु रविदास जी की जन्मस्थली की पावन मिट्टी की कलश यात्रा हरियाणा में 4 अगस्त, 2026 को पहुँची। इस कलश यात्रा के स्वागत में 5 अगस्त, 2026 को गुरुग्राम में माता शीतला मंदिर के परिसर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इसमें लाए गए कलश जिला और ग्राम स्तर तक पहुँचाए जा रहे हैं, जहाँ श्रद्धालु पावन मिट्टी को स्थानीय मंदिरों की मिट्टी में मिलाकर संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के सामाजिक समरसता का संदेश जन-जन तक पहुँचा रहे हैं।

12. **अध्यक्ष महोदय,** यह समरसता यात्रा आगामी 5 अक्टूबर को हरियाणा में पहुंचेगी तथा यह 5 नवंबर, 2026 तक चलेगी। इस यात्रा के स्वागत में इसके मार्ग में पूरे राज्य में प्रवेश द्वार व स्वागत स्थल तैयार किए जाएंगे। साथ ही, जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा, 26 नवंबर, 2026 से 15 जनवरी, 2027 तक छात्रावासों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और कोचिंग केंद्रों में विशेष संवाद आयोजित किए जाएंगे।

13. इस महान सदन के सभी माननीय सदस्यों से विनम्र अनुरोध है कि श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए आप इस यात्रा को सफल बनाने में सहयोग करें।

14. यह महान सदन '**श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान**' के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों में सभी हरियाणावासियों, विशेष रूप से विभिन्न संत, महंत, धर्माचार्य एवं डेरा प्रमुख, मंदिर समितियों व सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थाओं का भी इन कार्यक्रमों में भाग लेने का आह्वान करता है।
15. गुरु रविदास जी ने अध्यात्म को महलों और मंदिरों तक सीमित नहीं रहने दिया। उन्होंने उसे गरीब की झोपड़ी, मेहनतकश के पसीने और मानव-सेवा से जोड़ दिया।
16. उन्हें निर्गुण भक्ति आंदोलन का प्रमुख संत माना जाता है। उनकी भक्ति में जाति, वर्ग अथवा बाहरी दिखावे के लिए कोई स्थान नहीं था।
17. उन्हें स्वामी रामानंद जी का शिष्य माना जाता है। इस दृष्टि से संत कबीर और गुरु रविदास जी को एक ही व्यापक भक्ति-परंपरा का प्रतिनिधि माना जाता है।
18. उनकी वाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में आदरपूर्वक स्थान मिला है। इससे स्पष्ट है कि उनकी वाणी ने पंथ, क्षेत्र और भाषा की सीमाओं को पार किया।
19. उनकी प्रसिद्ध रचना 'बेगमपुरा' श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंग 345 में उनका प्रसिद्ध दोहा संकलित है। इसमें कहा गया है—

बेगम पुरा सहर को नाउ।
दूखु अंदोहु नहीं तिहि ठाउ॥

बेगमपुरा का अर्थ है ऐसा स्थान जहां कोई गम नहीं, कोई भय नहीं, कोई अन्याय नहीं, कोई भेदभाव नहीं और कोई शोषण नहीं।

20. भक्त शिरोमणि मीराबाई ने भी अपनी रचनाओं में गुरु रविदास जी को अपना गुरु माना है। यह उनकी आध्यात्मिक प्रतिष्ठा और व्यापक स्वीकार्यता का प्रमाण है।
21. यह महान सदन संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी द्वारा मानव मात्र के लिए दी गई शिक्षाओं को याद करते हुए उन्हें नमन करता है। साथ ही, उनके 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित देशव्यापी '**गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान**' को गरिमापूर्ण ढंग से मनाने का प्रण लेता है।
22. इस सदन का मानना है कि श्री गुरु रविदास जी के प्रति सच्ची श्रद्धा के रूप में उनकी अमर शिक्षाओं को हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक तक पहुँचाने की आवश्यकता है, ताकि, प्रदेश में आपसी सहयोग और भाईचारे की गौरवपूर्ण परंपरा अटूट बनी रहे।
23. मैं इस महान सदन के सम्मुख गहन श्रद्धा के साथ प्रदेश के लोगों की ओर से श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व के अवसर पर इस प्रस्ताव को सर्व-सम्मति से पारित करने का अनुरोध करता हूं।

"ऐसा चाहूं राज मैं, जहां मिलै सबन को अन्न,
छोट-बड़ो सब सम बसै, रैदास रहै प्रसन्न।"

VII. <u>**विधायी कार्य।**</u>

(i) (पुरःस्थापित, विचार तथा पारित हेतु विधेयक)

हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2026	एक मंत्री	हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक को पुरः स्थापित करेंगे; प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(ii) (विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक)

1.	हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2026	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
2.	हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
3.	हरियाणा स्थानीय लेखा-परीक्षा विधेयक, 2026	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा स्थानीय लेखा-परीक्षा विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
4.	हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
5.	हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
6.	हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
7.	हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

8.	हरियाणा राज्य भौतिक-चिकित्सा परिषद् (निरसन) विधेयक, 2026	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा राज्य भौतिक-चिकित्सा परिषद् (निरसन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
9.	हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन विधेयक, 2026	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
10.	हरियाणा कारबार का अधिकार विधेयक, 2026	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा कारबार का अधिकार विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

चण्डीगढ़:
31 **अगस्त**, 2026.

डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया, भा. प्र. से,
सचिव।